असाधारण
EXTRAORDINARY

Daman 4th December, 2017, 13 Agrahayana, 1939 (Saka) सं. No. : 41

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE

भारत सरकार
Government of India

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110 001

No. 23/Spl. Drive/NOT/ECI/FUNC/ERD-ER/2017 (Vol.III) Dated : 30th November, 2017
9 Agrahayana, 1939 Saka

NOTIFICATION

Whereas, the Election Commission had announced the schedule for Special Summary Revision of electoral rolls in the UT of Daman and Diu with reference to 01.01.2018 as the qualifying date vide its letter No. 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER2017 (Vol.II) dated 23rd August, 2017; and

Whereas, the period for filing claims and objections was fixed from 18th September, 2017 to 30th November, 2017; and

Whereas, the draft rolls were published on 18th September, 2017 as scheduled; and

Whereas, the Election Commission has reviewed the progress of ongoing Special Drive being conducted during the period for filing claims and objections in the State; and

Contd./---

EXTRAORDINARY No. : 41
DATED : 4^{TH} DECEMBER, 2017.

Whereas, the Election Commission has, on such review and also on request received from CEO, decided that the period for filing claims and objections in the State shall be further extended up to 15^{th} December, 2017, so that period of Special Drive during the said period for filing claims and objections, also be extended to enable the Booth Level Officers to complete ongoing house to house verification in their respective polling station areas;

Now, therefore, the Election Commission, in exercise of the powers conferred by the proviso to Rule 12 of the Registration of Electors Rules, 1960, hereby extends the period for filing claims and objections in the State upto and including 15^{th} December, 2017 for the current Special Summary Revision of electoral rolls with reference to 01.01.2018, as the qualifying date.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
PRINCIPAL SECRETARY

***

EXTRAORDINARY No. : 41
DATED : 4TH DECEMBER, 2017.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 23/वि.अ./नोट/ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी-ईआर/2017(खंड-III) दिनांक: 30 नवम्बर, 2017
9 अग्रहायण, 1939 शक

अधिसूचना

यत:, निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र सं. 23/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी-ईआर2017 (खंड II)दिनांक 23 अगस्त, 2017 के जरिए 01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्र, दमन एवं दिव में निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची की घोषणा कर दी थी; और

यत:, दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 18 सितम्बर, 2017 से 30 नवम्बर, 2017 तक नियत की गई थी; और

यत:, प्रारूप नामावलियां यथा-निर्धारित 18 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित की गई थीं; और

यत:, निर्वाचन आयोग ने संघ राज्य क्षेत्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि के दौरान चल रहे विशेष अभियान की समीक्षा की है; और

यत:, निर्वाचन आयोग ने ऐसी समीक्षा करने और साथ ही विभिन्न मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त अनुरोध पर निर्णय लिया है कि संघ राज्य क्षेत्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 15 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ा दी जानी चाहिए ताकि दावे और आपत्तियां दाखिल करने की उक्त अवधि के दौरान विशेष अभियान की अवधि को भी आगे बढ़ा दिया जाए जिससे बूथ लेवल अधिकारी अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहे घर-घर जाकर सत्यापन के कार्य को पूरा कर सकेंगे;

अब, इसलिए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग द्वारा 01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के चल रहे वर्तमान विशेष सार पुनरीक्षण के लिए संघ राज्य क्षेत्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 15 दिसम्बर, 2017 को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा यह तारीख आगे बढ़ाई जाती है।

आदेश से,

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
प्रधान सचिव

Government Printing Press, Daman - 12/2017 – 250.
[Price Rs. 2.00]